उत्तर प्रदेश शासन,
सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–2
संख्याः–1649/44-2-94-27/94
लखनऊः दिनांकः 26 सितम्बर, 1994

कार्यालय–ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के वित्तीय संसाधनों में कमी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के अंशको को निजी क्षेत्र में आंशिक बिक्री द्वारा संसाधनों में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में अध्ययन करने हेतु राज्यपाल महोदय निम्नलिखित अधिकारियों की एक टास्क फोर्स गठित करते हैं:–

1-	प्रमुख सचिव सार्वजनिक उद्यम विभाग	अध्यक्ष
2-	सचिव, वित्त (व्यय नियन्त्रण) विभाग	सदस्य
3-	सचिव, नियोजन विभाग	सदस्य
4-	प्रमुख सचिव, भारी उद्योग विभाग या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य
5-	प्रबन्ध निदेशक, पिकप	सदस्य
6-	प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	सदस्य
7-	विशेष सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग	संयोजक

2- उक्त टास्क फोर्स द्वारा अध्ययनोपरान्त निम्नलिखित पर अपनी संस्तुतियां सार्वजनिक उद्यम विभाग को 3 माह के अन्दर प्रस्तुत की जायेंगी:–

(1) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों का अध्ययन कर इस बात का पता लगाया जायेगा कि सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों का अंशक किस सीमा तक खुले बाजार में बिक्री के लिए दिये जा सकते हैं।

(2) अंशकों की बिक्री के सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनायी जाये।

(3) टास्क फोर्स उन इकाईयों की पहचान करेगी जिनमें अंशकों की बिक्री द्वारा पूंजी बिनियोजन को आकर्षित किया जा सकता है।

3- टास्क फोर्स उपरोक्त कार्यो के लिए आवश्यकतानुसार अन्य सदस्यों को भी कोआप्ट कर सकेगी।

4- टास्क फोर्स की संस्तुतियों को मुख्य सचिव के माध्यम से मा० मुख्य मंत्री जी एवं मा० मंत्रि परिषद् के आदेशार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

[आर०एस० निगम]
विशेष सचिव।

संख्या 1649 (1)/44-2/94 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) टास्क फोर्स के अध्यक्ष एवं सदस्य गण।
(2) सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों से सम्बन्धित शासन के प्रमुख सचिव/सचिव।
(3) सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों से सम्बन्धित शासन के प्रशासकीय विभाग।
(4) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–1।

आज्ञा से,
[आर०एस० निगम]
विशेष सचिव।